

आईपीओ में अभिदान करते समय निवेशकों को चेक जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है . यदि आबंटन होता है तो भुगतान हेतु अपने बैंक को प्राधिकृत करने के लिए आवेदन-पत्र में अपना बैंक खाता संख्या लिखें तथा हस्ताक्षर करें. रिफंड के लिए चिंता न करें क्योंकि राशि निवेशक के खाते में ही रहेगी.